दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.6.2018 गोपाल - पावली 293/2011	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 8 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 20 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 21 रकबा 1.83 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 1.08 हैक्टर, ख0नं0 26 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 3.29 हैक्टर तथा ख0नं0 5 रकबा 1.03 हैक्टर ग्राम सुजावास में वादीगण का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-1 से 13 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियात का अर्सा 40 वर्ष पूर्व पूर्वजों के जमाने से ही बाहमी बंटवारा हो गया था जिसके मुताबिक वादीगण का 3/4 हिस्सा की भूमि ख0नं0 5 रकबा 1.03 हैक्टर सम्पूर्ण तथा ख0नं0 22 रकबा 1.08 हैक्टर सम्पूर्ण तथा ख0नं0 21 रकबा 1.83 हैक्टर में से रकबा 1.12 हैक्टर उत्तर दिशा का बाहमी बंटवारे में आया हुआ तथा ख0नं0 26 रकबा 0.37 हैक्टर एवं ख0नं0 21 में से शेष रकबा 0.71 हैक्टर बाहमी बंटवारे में प्रतिवादी सं0-1 से 13 के हिस्से में आया हुआ है। जिसके अनुसार विधिवत बंटवारा किया जावे ।अदालत मातहत में दावा दर्ज होते ही दिनांक 7-10-2011 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है। जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में दावा दिनांक 7-10-2011 को पेश किया, इसी दिन	

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

293/2011 गोपाल/चावली

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	कार्यालय की रिपोर्ट होकर दावा दर्ज किया गया तथा इसी दिनांक को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई । इस प्रकार अदालत मातहत ने दावे में न तो प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी किया न किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया तथा दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया । इस कारण हम प्रकरण को [illegible] अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें [illegible]	
	अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (प्रथम) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-10-2011 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-7-2018 को उपस्थित होवें ।	
	निर्णय सुनाया गया ।	
	14/6/18 (भंवरलाल मेहरडा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	